डॉ. सुधीर भंडारी के कार्यकाल में वर्ष 2020 से पनप रहा था अंग प्रत्यारोपण की एन.ओ.सी. का फर्जीवाड़ा : चिकित्सा मंत्री

चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एन.ओ.सी. मामले को लेकर बुधवार को प्रैस कॉफ्रेंस की

- **मंत्री का कहना है कि, पिछले एक वर्ष में 945 ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स हुए, इनमें से 269 केस में डोनर-रिसीवर नजदीकी रिश्तेदार नहीं थे**
- **सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बीते एक साल में 171 ट्रांसप्लांट विदेशी नागरिकों के हुए। जिनमें फोर्टिस अस्पताल में 103, ईएचसीसी में 34, मणिपाल हॉस्पिटल में 31 और महात्मा गांधी अस्पताल में 2 हुए थे।**
- **एन.ओ.सी. आवेदनों की जानकारी होने के बावजूद बैठक नहीं बुलाने पर दोषी मानते हुए राज्य सरकार ने एस.एम.एस. अस्पताल के सीनियर प्रोफेसर (सर्जरी) डॉ. राजेन्द्र बागडी को निलंबित कर दिया है**

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर बुधवार को प्रेस से रुबरू हुए। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह भी मौजूद रहीं।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। सवाई मानसिंह अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट (अंग प्रत्यारोपण) के लिए फर्जी एन.ओ.सी. दिये जाने के मामले को लेकर चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बुधवार को प्रैस कॉफ्रेंस की। उन्होंने कहा कि डॉ. सुधीर भण्डारी जब एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक थे, उसी समय से अनियमितताएं और फर्जीवाड़ा सामने आया है। दूसरे राज्यों से भी इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वर्ष 2020 में चेन्नई व बुलंदशहर में प्रत्यारोपण के लिए जारी एनओसी की प्रमाणिकता जांचने के लिए एस.एम.एस. प्रशासन को पत्र लिखा गया था, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। यदि उसी समय इस पर एक्शन लिया जाता तो इस अपराध को पहले ही रोका जा सकता था।

खींवसर ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 945 ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स हुए, इनमें से 82 सरकारी अस्पतालों में तथा 863 निजी अस्पतालों में हुए। कुल 933 ट्रांसप्लांट का रिकॉर्ड मिल गया है, इनमें 882 किडनी व 51 लीवर के ट्रांसप्लांट थे। खास बात यह है कि 269 केस में डोनर-रिसीवर नजदीकी रिश्तेदार नहीं थे। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बीते एक साल में 171 ट्रांसप्लांट विदेशी नागरिकों के हुए। जिनमें फोर्टिस अस्पताल में 103, ईएचसीसी में 34, मणिपाल हॉस्पिटल में 31 और महात्मा गांधी अस्पताल में 2 हुए। फोर्टिस, ईएचसीसी और मणिपाल हॉस्पिटल में नियम विरूद्ध प्रत्यारोपण पाए जाने पर इनका अंग प्रत्यारोपण लाइसेंस निलंबित कर दिया है। तीनों अस्पतालों के विरूद्ध पुलिस जांच भी जारी है।

सोटो की स्टीयरिंग कमेटी पर भंडारी का आधिपत्य था

चिकित्सा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने टोहा एक्ट के नियमों का उल्लंघन कर सोटो के चेयरमैन बने हुए डॉ. सुधीर भण्डारी को भी सोटो की स्टीयरिंग कमेटी के चैयरमेन पद से हटा दिया है। प्रधानाचार्य के पद से हटते समय ही भंडारी ने सोटो चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि वास्तविकता यह है कि वे निरन्तर सोटो चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे थे। इसके पुख्ता साक्ष्य मौजूद हैं।

उन्होंने मेडिकल कॉलेज के कार्यकाल में गठित सोटो की स्टेयरिंग कमेटी की संरचना में एनओटीपी के दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधियों को नामित कराने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे स्टीयरिंग कमेटी में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं रहा। यह सम्पूर्ण स्थिति दर्शाती है कि डॉ. भण्डारी ने आरयूएचएस के वीसी बनने के बाद सोटो के कार्यों पर अपना आधिपत्य बनाया रखा गया। डॉ. भण्डारी को सोटो की स्टीयरिंग कमेटी से तुरन्त प्रभाव से हटाया जा चुका है। राज्य सरकार ने इस फर्जीवाडे में भंडारी की भूमिका के साक्ष्य पेश करते हुए राज्यपाल को वीसी के पद से हटाने की अभिशंषा की थी। इस कारण भण्डारी को आरयूएचएस के वीसी पद से इस्तीफा देना पड़ा।

डॉ. राजेन्द्र बागड़ी को भी निलंबित किया

खींवसर ने बताया कि एस.एम.एस. अस्पताल के सीनियर प्रोफेसर, सर्जरी डॉ. राजेन्द्र बागडी को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया गया है। बागड़ी को 15 अप्रैल 2022 को राज्य प्राधिकार समिति का समन्वयक नियुक्त किया गया था। डॉ. बागडी के हस्ताक्षरों से जारी ऐसे मीटिंग नोटिस पाए गए हैं, जिन पर मीटिंग की दिनांक एवं समय अंकित नहीं है। ये तथ्य दर्शाते हैं कि डॉ. राजेन्द्र बागडी को एनओसी के लिए आवेदनों के निरन्तर प्राप्त होने की पूर्ण जानकारी थी। इसके बावजूद मीटिंगों का आयोजन नहीं होने के लिए वे प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। डॉ. बागडी ने राज्य प्राधिकार समिति के कार्यों को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि मंत्रालयिक कार्मिक गौरव सिंह के द्वारा राज्य प्राधिकार समिति के कार्यों पर आधिपत्य बना लिया गया। डॉ. बागड़ी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है।

गौरव सिंह, अनिल व विनोद सिंह गिरफ्तार हो चुके

चिकित्सा मंत्री ने बताया कि इस प्रकरण में प्रारम्भिक जांच के बाद फर्जी एनओसी देने के आरोप में एस.एम.एस अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह, ई.एच.सी.सी. अस्पताल के मानव अंग प्रत्यारोपण समन्वयक अनिल जोशी और फोर्टिस अस्पताल के समन्वयक विनोद सिंह मानव को गिरफ्तार कर लिया गया था। गौरव सिंह को चिकित्सा विभाग ने निलम्बित भी कर दिया है। समुचित प्राधिकारी (एप्रोप्रिएट अथॉरिटी) की ओर से मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। प्रकरण में गहन जांच जारी है। प्रभावी जांच के लिए टोहा एक्ट के तहत एडिशनल डीसीपी (क्राइम) को समुचित प्राधिकारी बनाया गया है। साथ ही, मामले में तफ्तीश के लिए पुलिस के स्तर पर एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसीबी पहले से ही इस मामले में अपनी जांच कर रही है। पुलिस द्वारा आपराधिक दृष्टिकोण से इस मामले में जांच-पड़ताल की जा रही है।

15 अस्पतालों में हो रहा था अंग प्रत्यारोपण

खींवसर का कहना है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट दे दी है। इसमें सामने आया है कि प्रदेश में 15 अस्पतालों में मानव अंग प्रत्यारोपण किया जा रहा था। इनमें 4 सरकारी एवं 11 निजी अस्पताल है। फर्जी एनओसी का मामला सामने आने के बाद सरकार ने सभी अस्पतालों का रिकॉर्ड जांच के लिए अपनी निगरानी में ले लिया था। जांच में सामने आया कि विगत एक वर्ष में करीब 945 प्रत्यारोपण हुए। इनमें से 82 सरकारी अस्पतालों में तथा 863 निजी अस्पतालों में हुए। इनमें से 933 का रिकॉर्ड उपलब्ध हो गया है। कुल 933 अंग प्रत्यारोपण में से 882 किडनी तथा 51 लीवर के ट्रांसप्लांट थे।

विदेशी नागरिकों को ऑर्गन लगाने की जांच होगी

171 विदेशी नागरिकों को अंग प्रत्यारोपण और इसमें निजी अस्पतालों की लिप्तता की जांच पुलिस, एसीबी और एप्रोप्रिएट अर्थॉरिटी द्वारा की जा रही है। साथ ही एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है।

फोर्टिस अस्पताल के दोनों डॉक्टर छह दिन के रिमांड पर

एस.आई.टी. ने कोर्ट में कहा, दोनों डॉक्टर दलालों के संपर्क में थे, इनके मोबाइल में चैट मिली है

- **उधर डॉक्टर्स के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि, "उनके क्लाइंट का इस केस से कोई लेना-देना नहीं हैं। वे केवल हॉस्पिटल में ऑपरेशन करते थे। जो ऑपरेशन किए, उसमें फर्जी एनओसी की जांच करने का काम इनका नहीं था।"**

जयपुर (कासं)। फर्जी एनओसी से मानव अंग प्रत्यारोपण (ऑर्गन ट्रांसप्लांट) मामले की जांच कर रही एस.आई.टी. ने बुधवार को फोर्टिस अस्पताल के गिरफ्तार दोनों डॉक्टर्स जितेंद्र गोस्वामी और संदीप गुप्ता को कोर्ट में पेश किया। एसआईटी ने कोर्ट से दोनों डॉक्टर का 10 दिन का रिमांड मांगा, लेकिन कोर्ट ने 6 दिन का रिमांड दिया है। इसके बाद एसआईटी की टीम दोनों डॉक्टरों को लेकर कोर्ट से निकल गई।

सूत्रों के मुताबिक आरोपी डॉक्टरों के वकीलों ने दलील देते हुए कोर्ट से कहा कि उनके क्लाइंट का इस केस से कोई लेना-देना नहीं हैं। ये तो केवल हॉस्पिटल में ऑपरेशन करते थे। दोनों ने जो ऑपरेशन किए, उसमें फर्जी एनओसी की जांच करने का काम इनका नहीं था।

इस मामले में एसीबी ने सवाई मानसिंह अस्पताल के स्टाफ को गिरफ्तार किया था, लेकिन एसआईटी वहां के डॉक्टर्स से कोई पूछताछ नहीं कर रही है, जबकि पूरी कहानी वहीं से शुरू हुई है। एसआईटी को एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टरों से भी पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि उनकी मिलीभगत के बिना फर्जी एनओसी जारी नहीं हो सकती थी।

एसआईटी ने कोर्ट में आरोपियों को जब पेश किया तो कोर्ट ने एसआईटी से भी रिमांड लेने की आवश्यकता और अब तक एसआईटी ने क्या किया इस पर सवाल पूछे। इस पर एसआईटी ने बताया कि इस केस पर बारीकी से काम किया जा रहा है। पुलिस रिमांड पर चल रहे डॉक्टर्स के खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत है। दोनों डॉक्टर्स की सीडीआर से जानकारी सामने आई है कि ये दलालों के संपर्क में थे। इनके मोबाइल की जांच की गई तो उसमें दलालों से इनकी चैट मिली है। इस आधार पर आगे की जांच करनी है। इस पर कोर्ट ने फोर्टिस अस्पताल के दोनों डॉक्टरों को 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया।

ज्ञात रहे कि राज्य सरकार ने एसआईटी गठन करने के आदेश दिए थे। इस पर मंगलवार को जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोफस ने एसआईटी का गठन किया था। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में दर्ज तीनों एफआईआर की जांच एसआईटी करेगी। एसआईटी में एसीपी गांधी नगर गोपाल सिंह ढाका और एसीपी पुलिस लाइन हेमराज मूंड, 2 पुलिस निरीक्षक हवा सिंह मंगावा और भवानी सिंह, 2 एएसआई मूल सिंह और धर्मेंद्र कुमार के साथ-साथ 2 कॉन्स्टेबल चैन सिंह और सुभाष चंद्र रहेंगे। एसआईटी की जांच की मॉनिटरिंग जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ करेंगे।

सूत्रों की मानें तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में गिरफ्तार फोर्टिस हॉस्पिटल के दो डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी और संदीप गुप्ता को पुलिस ने रविवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को 15 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा था। गिरफ्तार डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी से हुई पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सामने आया है कि जितेंद्र गोस्वामी एस.एम.एस. अस्पताल के एएओ गौरव सिंह से डायरेक्ट संपर्क में था। जब तक वह मणिपाल हॉस्पिटल में रहा, उसने वहां पर कई ट्रांसप्लांट किए थे। आरोपी ने जब फोर्टिस अस्पताल जॉइन किया तो भी गौरव के संपर्क में रहा और हॉस्पिटल के कई स्टाफ को अपने साथ मिला चुका था।

गौरतलब है कि एसीबी ने एसएमएस हॉस्पिटल में 31 मार्च सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह और ईएचसीसी हॉस्पिटल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट को-ऑर्डिनेटर अनिल जोशी को लेनदेन करते रंगे हाथों पकडा था। टीम ने मौके से 70 हजार रुपए और 3 फर्जी एनओसी भी जब्त किए थे। कार्रवाई के बाद एसीबी ने आरोपियों के घर और अन्य ठिकानों पर भी सर्च किया था। इनकी गिरफ्तारी से खुलासा हुआ था कि फोर्टिस हॉस्पिटल का को-ऑडिनेटर विनोद सिंह भी कुछ समय पहले पैसा देकर फर्जी सर्टिफिकेट लेकर गया था। एसीबी ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया था। बाद में जयपुर पुलिस ने इस केस में जांच शुरू कर दी थी। पुलिस इस मामले में फरार चल रहे मैड सफर के अन्य डायरेक्टर राज कमल व दलाल मोहम्मद मुर्तजा अंसारी को पकड़ने के लिए जयपुर पुलिस पश्चिम बंगाल के अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

पूर्व राज्यपाल डॉ.कमला का 97 वर्ष की उम्र में निधन

- **राजस्थान की पहली महिला मंत्री और उप मुख्यमंत्री रहने के अलावा कई विभागों की मंत्री भी रहीं**

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, राजस्थान की पहली महिला मंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित कई विभागों की मंत्री रहने के अलावा गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम की राज्यपाल रहीं डॉ. कमला का बुधवार को 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने जयपुर के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली।

बुधवार को अचानक तबीयत ज्यादा खराब होने पर परिजन उन्हें अस्पताल लेकर गए थे, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। उनका पार्थिव शरीर मालवीय नगर स्थित उनके आवास पर रखा गया है। डॉ. कमला का जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले के गोरिर गांव में 12 जनवरी 1927 को हुआ था। उन्होंने वनस्थली विद्यापीठ और जयपुर की महारानी कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की। वे कांग्रेस से जुड़ीं और 1954 में महज 27 साल की उम्र में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर पहली महिला मंत्री बनीं। वे प्रदेश की पहली उप मुख्यमंत्री भी रहीं। इसके अलावा अलग-अलग समय पर कई विभागों के मंत्री पद का जिम्मा भी संभाला। इससे पहले उन्होंने प्रदेश कांग्रेस में भी कई पदों की जिम्मेदारी निभाई।

प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई राजनेताओं ने डॉ. कमला के निधन पर संवेदना जताई है। डॉ. कमला के बेटे आलोक बेनीवाल शाहपुरा से विधायक रहे हैं। उन्होंने इस बार भी शाहपुरा से विधानसभा का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था।

स्व. भैरोंसिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए

जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार सायं पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे स्व. भैरोंसिंह शेखावत की पुण्य तिथि पर विद्याधर नगर स्थित उनके स्मृति स्थल जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पूर्व उपराष्ट्रपति एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. भैरोसिंह शेखावत को उनकी 14वीं पुण्यतिथि पर स्मरण करते हुए कहा कि वे आजीवन राष्ट्रहित के लिये कार्य करते रहे। वें जनहितैषी थे।

वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. भैरों सिंह शेखावत की 14वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धाजंली अर्पित की गई।

एमबीए छात्रा से दुष्कर्म प्रकरण में पूर्व आई.ए.एस. मोहंती दोषमुक्त

- **अदालत ने माना कि घटना के समय शिकायतकर्ता बालिग थी और अपना भला-बुरा समझती थी। उसके पास विरोध दर्ज कराने का समय भी था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इससे लगता है कि उसकी सहमति से संबंध बने थे।**

जयपुर, (का.सं.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने एमबीए छात्रा से दुष्कर्म प्रकरण में तत्कालीन आईएएस बीबी मोहंती को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने माना है कि घटना के समय शिकायतकर्ता बालिग थी और अपना भला-बुरा समझती थी। उसके पास विरोध दर्ज कराने का समय भी था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इससे लगता है कि उसकी सहमति से संबंध बने थे। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका है कि बीबी मोहंती ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया हो।

मामले के अनुसार यूपी निवासी 23 वर्षीय युवती ने 25 जनवरी, 2014 को महेश नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में युवती ने आरोप लगाया था कि फरवरी, 2013 में आईएएस बीबी मोहंती ने उसे आईएएस की तैयारी कराने के नाम पर स्वेज फार्म स्थित अपने फ्लैट पर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

इसके बाद मोहंती ने शादी का झांसा देकर उसके साथ भरतपुर, आगरा, गोवा, गुड़गांव और चेन्नई सहित अन्य जगहों पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मोहंती फरार हो गया। इस पर अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई आरंभ कर दी। इस पर 20 नवंबर 2017 को मोहंती ने पुलिस के समक्ष सरेंडर किया था।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने पीड़िता के बयान दर्ज कराते हुए कहा कि आरोपी मोहंती ने उसे आईएएस की तैयारी कराने और उसके साथ शादी करने का झांसा देकर उसके साथ कई बार संबंध बनाए। वहीं बचाव पक्ष की ओर अधिवक्ता भंवर सिंह चौहान ने कहा कि पीड़िता बालिग थी और अपना भला-बुरा समझने में सक्षम थी। पीड़िता अपने मामा के साथ मिलकर जमीन का कारोबार करती थी। जिसके चलते वह मोहंती के संपर्क में थी। आईएएस की तैयारी के लिए स्नातक होना जरूरी है, जबकि शिकायतकर्ता युवती बीटेक, एमबीए पंच वर्षीय कोर्स में अध्ययनरत थी। इसके अलावा पीड़िता को जानकारी थी कि मोहंती पहले से विवाहित है। ऐसे में उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को प्रकरण से दोषमुक्त कर दिया है।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-1345 दिनांक-15.05.2024
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/फ्लैट संख्या 32/430 (LIG), का आवंटन श्री सुरेन्द्र कुमार सक्सैना पुत्र श्री राज बहादुर सक्सैना को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1270 दिनांक 30.04.1993 को जारी किया गया था। जिसका नियमितिकरण पत्र क्रमांक 1461/4687 दिनांक 31.03.2009 के द्वारा श्री गागन दास लालवानी पुत्र स्व. श्री वीरूमल लालवानी के पक्ष में किया गया। इनके पक्ष में पंजीयन पत्रों निष्पादन दिनांक 17.09.2009 को उप पंजीयक जयपुर-अष्ठम् के यहां पंजीकृत करवाया गया। श्री गागन दास लालवानी की मृत्यु दिनांक 18.01.2022 को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री लालचन्द लालवानी पुत्र स्व. श्री गागन दास लालवानी आवासन मण्डल ने अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री लालचन्द लालवानी पुत्र स्व. श्री गागन दास लालवानी का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज.आवा.मण्डल, जयपुर

आम-सूचना दिनांक: 15.05.2024
समिति की स्कीम "श्री रामचन्द्र वाटिका" स्थित- घाटी करौलान, गोनेर रोड, जयपुर में भूखण्ड संख्या 51 क्षेत्रफल 100.00 वर्गगज का आवंटन पत्र श्रीमती राधारानी शर्मा पत्नी स्व. श्री रमाशंकर शर्मा निवासी-घाटी करौलान, गोनेर रोड, जयपुर को जारी किया गया था। श्रीमती राधारानी शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 07.05.2021 को होने के पश्चात उनके वारिस पुत्र श्री नवीन कुमार शर्मा पुत्र श्री रमाशंकर शर्मा ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, वारिस प्रमाण पत्र तथा मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर नोमिनी होने की हैसियत से उक्त पट्टे को अपने नाम से स्थानान्तरण करने हेतु आवेदन किया है। किसी व्यक्ति, संस्था, परिवारजन तथा अन्य किसी को भी कोई एतराज हो तो 7 दिवस में ऑफिस में सूचित करे, अन्यथा प्रार्थी के नाम पट्टा स्थानान्तरित कर दिया जावेगा। (मंत्री)
लक्ष्मी नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर
203, हनुमान टावर, ब्रह्मपुरी खुर्रा, जयपुर-302001

मदरामपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर
(कार्यालय- 330 वसुन्धरा कॉलोनी, टोंक रोड़, जयपुर)
Ref No. MPGNSS/2024/38 Date: 15/05/2024
वार्षिक आम सभा सूचना
समिति के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि समिति की वार्षिक आम सभा दिनांक 05/06/2024 को प्रात: 11 बजे समिति के वर्तमान कार्यालय 330, वसुन्धरा कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर पर आयोजित की जा रही है जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। आम सभा एजेण्डा इस प्रकार है:-1. कार्यकारिणी के कार्यो के संबंध में विचार 2. ऑडिट रिपोर्टो पर विचार 3. आक्षेपपूर्ति पर विचार 4. समिति के चुनाव करवाने पर विचार एवं अन्य विषयों पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विचार-विमर्श किया जावेगा। कोरमपूर्ति के अभाव में आम सभा उसी दिन निर्धारित समय के आधे घंटे पश्चात् आयोजित की जायेगी। (मंत्री)

न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महो., राजगढ़ (अलवर)
वाद पत्र संख्या 01/ 19/ सन् 2023
नरेश शर्मा पुत्र पुत्र श्री श्रीकृष्ण शर्मा जाति ब्राह्मण आयु करीब 43 वर्ष निवासी श्रीनगर बॉदेन तहसील राजगढ़ जिला अलवर वगैरहा
-वादीगण
बनाम
रामेश्वर दयाल शर्मा पुत्र भरत लाल शर्मा जाति ब्राह्मण आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम डॉगरवाडा तहसील राजगढ़ जिला अलवर वगैरहा
-प्रतिवादीगण
प्रतिनिधित्यात्मक वाद आदेश 01 नियम 8 जा.दी. बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
उपरोक्त वादीगण ने हाल आराजी खसरा संख्या 01/0.51, 1/1/0.10 व 13/294/0.07 वाके ग्राम नयाबास हवेली तहसील राजगढ़ जिला अलवर में से पहाडों के बहते हुये बरसाती पानी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र को अवरूद्ध नहीं करने हेतु वाद पत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया हैं अंतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति उक्त वाद पत्र में पक्षकार बनना चाहता है या किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो पैरवी करने हेतु दिनांक 17.05.2024 को समय 10:30 ए.एम. पर न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पैरवी करें।
मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 6/5/24 को जारी किया गया।
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (अलवर)
मोहर अदालत

उत्तर पश्चिम रेलवे
ई-निविदा सूचना
मण्डल रेल प्रबंधक (टीआरडी एवं जीएसयू), उत्तर-पश्चिम रेलवे, अजमेर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से नीचे दिये गये कार्यों के लिए दी गई तिथि को 15:00 बजे तक ई निविदा आमंत्रित की जाती है। **निविदा संख्या: मं.रे.प्र.-टीआरडी-03-2024-25 कार्य का नाम:** Annual Maintenance Contract of Cummins Make Engine of 04 Nos. 8-Wheeler Tower Wagon over Ajmer Division for a Period of 03 Years. **अनुमानित लागत:** Rs. 2,10,29,588.00/- **बयाना राशि:** Rs. 2,55,200.00/- **ई निविदाये बन्द होने की तिथि व समय:** 04.06.2024 को 15:00 बजे **ई निविदायें खोलने की तिथि व समय:** 04.06.2024 को 15:30 बजे उपरोक्त ई निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए वैबसाइट का पता- www.ireps.gov.in 558-AJ/24
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करे

उत्तर पश्चिम रेलवे
ई-निविदा सूचना
भारत संघ के राष्ट्रपति एवं उनकी ओर से उप. मुख्य बिजली इन्जीनियर (निर्माण-II) उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर के अधीन निम्नलिखित कार्यों के लिये दी गई तिथि को 15.00 बजे तक ई-निविदा आमंत्रित की जाती है:- **1. कार्य का नाम: Tender No. EL/C/JP/KWP/T01/24** खातीपुरा फेज़-II कोच केयर काम्प्लेक्स परियोजना के पॉवर सप्लाई अरेंजमेंट, सर्कुलेटिंग एरिया की लाइटिंग, यार्ड लाइटिंग, एडमिन बिल्डिंग की एयर कंडीशनिंग, पिट्स/स्टेब्लिंग लाइन्स/शेड्स का लाइट अरेंजमेंट और एचटी/एलटी पॉवर लाइन्स का मॉडिफिकेशन से सम्बंधित विद्युत कार्य। **2. कार्य की अनुमानित लागत:** Rs.106796896.00 **3. बयाना राशि जो जमा करनी है:** Rs. 684000.00 **4. निविदा प्रपत्र जमा कराने व खुलने की तारीख व समय:** 06.06.2024 Upto 15-00 Hrs. 06.06.2024 at 15.30 Hrs. **5. उपरोक्त ई निविदा की विस्तृत जानकारी के लिये वैबसाइट का पता:** www.ireps.gov.in 562-AJ/24
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करे

विवादों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

सिन्धु नगर को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि., जयपुर
1434, भूराटीबा, बाबा हरिशचन्द्र मार्ग, चांदपोल बाजार, जयपुर
Ref No. SNCHS/2024/48 Date: 15/05/2024
वार्षिक आम सभा सूचना
समिति के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि समिति की वार्षिक साधारण आमसभा दिनांक 04/06/2024 को प्रात: 11 बजे समिति के कार्यालय 1434, बाबा हरिशचन्द्र मार्ग, चाँदपोल बाजार, जयपुर पर आयोजित की जा रही है जिसमें आपकी उपस्थिती अनिवार्य है। इसमे:- 1. प्रबन्धकारिणी के कार्यकलापों पर विचार 2. ऑडिट रिपोर्ट पर विचार 3. आक्षेपपूर्ति पर विचार 4. विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन वाद-विवादो पर विचार व अन्य विषयों पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विचार-विमर्श किया जावेगा। कोरमपूर्ति के अभाव में आम सभा उसी दिन निर्धारित समय के आधे घंटे पश्चात् आयोजित की जायेगी। (अध्यक्ष)

सूर्या हॉस्पिटल
SMS हॉस्पिटल गेट नं. 1 के सामने, टोंक रोड, जयपुर
मोबाईल नं : 7232033777
सार्वजनिक सूचना
सूर्या हॉस्पिटल जयपुर सूचित करता है कि हॉस्पिटल द्वारा 1 जून 2018 से 31 मार्च 2022 तक के मरीजों की मेडिकल रिकॉर्ड संबंधी जानकारी नष्ट करने के लिये आवेदित है। अतः उस समय में भर्ती हुये मरीज अपनी कोई भी अस्पताल भर्ती सम्बंधित जानकारी 30 दिनों के भीतर प्राप्त कर सकते है। उसके बाद सारे कागजात नष्ट कर दिये जायेगें।
By Order
Medical Superintendent
Surya Hospital Jaipur

खोया पाया

मेरा फ्लैट संख्या DWA/H-901 एवं पार्किंग नम्बर- HI/OP-149 द्वारका अपार्टमेन्ट मानसरोवर, जयपुर का मूल पजेशन लैटर कही गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें- राजेश देवी 9414717086

मैं श्रीमती रश्मि शर्मा पुत्री स्व. श्री कैलाश चन्द शर्मा यह कि म. नं. सी-105 में दक्षिणी ओर बनी हुई दुकान नं. 2 मुरलीपुरा स्कीम, दक्षिण मुखी के मूल कागजात रजिस्ट्री मेरे से मुरलीपुरा जयपुर में कहीं गिर गये। मिलने पर सूचित करें। मो.- 6350653595

प्लॉट नंबर 60 वृन्दावन विहार निर्माण नगर जयपुर का ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट्स एवं बिल्स, दो चेक दिनांक 20.04.2024 को श्याम नगर से निर्माण नगर के मध्य गिर गए है मिलने पर संपर्क- रमेश चंद्र निश्चल 9314885206

मेरे भूखण्ड संख्या C-100 करधनी गोविन्दपूरा कालवाड रोड जयपुर का आवंटन पत्र कही खो गया है मिलने पर सूचित करे निखिल अग्रवालमो. 9214369633

मेरे भूखण्ड संख्या B-196 करधनी गोविन्दपूरा कालवाड रोड जयपुर का आवंटन पत्र कही खो गया है मिलने पर सूचित करे जी. विश्वनाथ रेड्डीमो. 8955668899

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम पंकज कुमार जैन से बदलकर पंकज जैन पुत्र सुरेश चन्द जैन रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें निवासी ए-155, सीकर रोड, जैन मंदिर के पास, मुरलीपुरा, जयपुर

मैंने अपना नाम अरूण कुमार से बदलकर अरूण धर्मावत रख लिया है। भविष्य में मुझे अरूण धर्मावत पुत्र स्व. श्री मदल लाल निवासी 17-बी, अग्रसेन कॉलोनी, ब्रह्मपुरी रोड, जयपुर के नाम से जाना जाये।

मेरा आधार कार्ड व सभी दस्तावेजो मे मेरा नाम ASHWIN THADANI दर्ज है ओर पुराने पासपोर्ट में मेरा नाम ASHWIN KISHAN LAL THADANI दर्ज है यह दोनो के नाम मेरे ही है भविष्य में मुझे ASHWIN THADANI के नाम से जाना जाये 191-192, Sindhi Colony, Bani Park, Jaipur

मैंने अपना नाम राकेश कुमार डाबी से बदलकर राकेश कुमार कर लिया है। भविष्य में सभी कार्यो उद्देश्यों हेतु मुझे राकेश कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश के नाम से जाना पहचाना जाए। पता - 104, गणेश नगर 20, बिन्दायका पोलिस स्टेशन के पीछे, नीमेरा, जयपुर राजस्थान, 302012

Army No-8037537N Rank-L/NK (WM) Name Bhagat Ghanashyam Bhai Jeeva Bhai at&po Khaksar, Teh-Tarapur, PS-Tarapur, Dist-Anand, (Gujarat) Pin -388625. Army service Records my Wife name is registered as MEENABEN Meghabhai Chosala that's Wrong. I want to register in my service Records my Wife is MEENABEN GHANASHYAMBHAI.

उत्तर पश्चिम रेलवे
खुली ई-निविदा सूचना
संखा: डबलू/118/निविदा/वमई(सम.) जयपुर/इन्जीनियरिंग दिनांक: 15.05.2024
मण्डल रेल प्रबन्धक इन्जीनियरिंग उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के द्वारा भारत संघ के राष्ट्रपति एवम् उनकी ओर से ई-निविदा के माध्यम से प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रपत्रों में निविदा निम्न कार्यों के लिए क्रमानुसार आमंत्रित की जाती है। **क्र.सं. 1. निविदा संख्या/कार्य का नाम: निविदा स.-ई.-जेपी-2024-25-22** सहायक मंडल इंजी. लाईन उपमण्डल-धानक्या स्टेशन पर जी.सी.टी. पॉलिसी के तहत प्राइवेट साइडिंग के विकास के क्रम में कॉमन यूजर सुविधा जैसे टर्न आउट, डिरेलिंग स्विच एस.ई.जे. एवं अन्य टेक कार्य का प्रावधान करने का कार्य। **अनुमानित लागत:** 3147083.62 **बिड प्रतिभूति राशि:** 63000.00 **क्र.सं. 2. निविदा संख्या/कार्य का नाम: निविदा स.-ई.-जेपी-2023-24-23** सीनीयर संभागीय अभियंता मुख्यालय जयपुर अनुभाग-जयपुर-सवाई माधोपुर और जयपुर बस्सी सेक्शन में शहर की सीमा के भीतर उच्च सड़क यातायात एलसी पर और गांधी नगर स्टेशन पर प्लेटफार्म एंड पाथवे पर रबरयुक्त सड़क की सतह के साथ सुधार का कार्य। **अनुमानित लागत:** 19542887.34 **बिड प्रतिभूति राशि:** 247700.00 **क्र.सं. 3. निविदा संख्या/कार्य का नाम: निविदा स.-ई.-जेपी-2023-24-24** सहायक मंडल इंजीनियर मुख्यालय-दितीय जयपुर-जयपुर-सवाई माधोपुर खण्ड में किमी. 91.0 से 131-0 के मध्य एनवरोचमेंट रोकने के लिये बाउडी वाल बनाने का प्रावधान। **अनुमानित लागत:** 16907296.15 **बिड प्रतिभूति राशि:** 234500.00 **क्र.सं. 4. निविदा संख्या/कार्य का नाम: निविदा स.-ई.-जेपी-2024-25-25** सहायक मंडल इन्जी.-फुलेरा-उपमण्डल-मे फुलेरा स्टेशन पर पुराने सी एण्ड डब्लु स्टोर के नवीनीकरण का कार्य करना। **अनुमानित लागत:** 4641056.79 **बिड प्रतिभूति राशि:** 92800.00 **1.** उपरोक्त निविदाओ का पूर्ण विवरण वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। नोटिस बोर्ड-मण्डल रेल प्रबन्धक (निर्माण लेखा) उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर के कार्यालय में देखी जा सकती है। **2.** निविदा संख्या इंजी./जय/2024-25/22 से इंजी./जय/2024-25/25 की बन्द होने की तिथि 05.06.2024 समय 15.30 बजे एवं खुलने की तिथी 05.06.2024 समय 16.00 बजे। **3. नोट:-** निविदा स.-ई.-जेपी-2023-24-22 व 25 मे ऐजेन्सी-रोहित कन्स्ट्रेक्शन दौसा भागेश्वर कोलोनी नीयर पीएचईडी ऑफिस हिन्दुअन रोड महुआ-दौसा-321608 इन दोनो निविदा मे भाग नही ले सकते है। 561-AJ/24
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करे

आवश्यकता
आवश्यकता है पार्ट टाइम कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की जो हिन्दी में पेजमेकर, क्वार्क और वर्ड में काम कर सकें।
समय: सांय 8.00 से 12.00
सम्पर्क करें: प्रोडक्शन मैनेजर
राष्ट्रदूत
चमेली वाला मार्केट, जयपुर